राज्य सभा

252वें सत्र के संबंध में सांख्यिकीय सूचना

[14.09.2020 **से** 01.10.2020]

1. 252वां सत्र (मानसून सत्र) जो सोमवार 14 सितम्बर, 2020 को शुरू हुआ और 1 अक्तूबर, 2020 को समाप्त होना था, कोविड-19 की महामारी के प्रसार के कारण समयपूर्व 23 सितम्बर, 2020 को समाप्त कर दिया गया। सत्र के दौरान राज्य सभा की बैठक का समय सत्र के पहले दिन 14 सितम्बर, 2020, जब बैठक म.प. 3.00 से म.प. 7.00 बजे तक हुई, को छोड़कर म.पू. 9.00 बजे से म.प. 1.00 तक था।

2. सत्र में शनिवार और रविवार के अवकाश के बिना 10 बैठकें हुई और सभा की कार्यवाही 39 घंटे से अधिक समय तक चली।

3. सभापति ने सत्र के पहले दिन आरंभिक समुक्तियां कीं और सदस्यों को अन्य बातों के साथ-साथ सत्र की कार्यवाही का संचालन सुरक्षित वातावरण में कराना सुनिश्चित कराने के लिए की गई बैठने की विशेष व्यवस्था, तकनीकी और संभारतंत्रीय व्यवस्था और सुरक्षापायों की जानकारी दी।

4. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान सत्र के दौरान तारांकित प्रश्नों को न लिए जाने और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों को न किए जाने के संबंध में राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों के प्रासंगिक नियमों को निलंबित किए जाने के संबंध में सरकार द्वारा उपस्थित किए गए एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

5. सत्र के दौरान, सभा में निम्नलिखित 25 सरकारी विधेयक पारितकिए गए/लौटाए गएः-

   (i) वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020;

   (ii) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020;

   (iii) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020;

   (iv) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020;

   (v) मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 2020;

   (vi) संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020;

   (vii) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020;

   (viii) महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020;

   (ix) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020;

   (x) कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020;

   (xi) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020;

(xii) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020;

(xiii) बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020;

(xiv) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020;

(xv) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020;

(xvi) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020;

(xvii) कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) विधेयक 2020;

(xviii) विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020;

(xix) अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020;

(xx) उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020;

(xxi) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020;

(xxii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020;

(xxiii) जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020;

(xxiv) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020; और

(xxv) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020.

और निम्नलिखित 6 विधेयक पुरःस्थापित किए गएः-

(i) मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 2020;

(ii) महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020;

(iii) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020;

(iv) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020;

(v) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020; और

(vi) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020.

और निम्नलिखित विधेयक वापस लिया गयाः-

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति विधेयक, 2018.

6. सत्र के पहले दिन निम्नलिखित नव-निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली/प्रतिज्ञान किया और उस पर अपने हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया :-

(i) श्री अजीत कुमार भुयान (असम);

(ii) श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़);

(iii) श्री शिबू सोरेन (झारखण्ड);

(iv) श्री एम. वी. श्रेयम्स कुमार (केरल);

(v) डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र);

(vi) डा. वानविरॉय खारलूखी (मेघालय);

(vii) श्री एन. आर. इलांगो (तमिलनाडु);

(viii) श्री तिरूची शिवा (तमिलनाडु);

(ix) श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू (तमिलनाडु);

(x) डा.के केशव राव (तेलंगाना);

(xi) श्री के.आर. सुरेश रेड्डी (तेलंगाना);

(xii) श्री सैयद जफर इस्लाम (उत्तर प्रदेश);

(xiii) श्री जयप्रकाश निषाद (उत्तर प्रदेश);

(xiv) श्री दिनेश त्रिवेदी (पश्चिमी बंगाल); और

(xv) श्रीमती अर्पिता घोष (पश्चिमी बंगाल)

जबकि निम्नलिखित नव-निर्वाचित सदस्यों ने क्रमशः 16 सितम्बर, 2020 और 20 सितम्बर, 2020 को सभा में शपथ ली/प्रतिज्ञान किया और उस पर अपने हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया :-

(i) श्रीमती मौसम नूर (पश्चिमी बंगाल); और

(ii) श्री एच.डी. देवेगौड़ा (कर्णाटक)

7. सभा ने 14 सितम्बर, 2020 को श्री हरिवंश को राज्य सभा के उपसभापति के रूप में पुनः निर्वाचित किया।

8. सत्र के दौरान लोक महत्व के विषयों पर 66 विशेष उल्लेख सभा पटल पर रखे गए। सभापीठ की अनुमति से 92 मामले उठाए गए।

9. कोविड-19 महामारी और भारत सरकार द्वारा इसके लिए उठाए गए कदमों के संबंध में 15 सितम्बर, 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा *स्वतः* दिए गए वक्तव्य पर *चर्चा* के रूप में कुल 4 घंटों से भी अधिक समय तक एक के बाद एक दो दिन, अर्थात 16 और 17 सितम्बर, 2020 को विस्तृत चर्चा हुई जिसमें 28 सदस्यों ने भाग लिया।

10. रक्षा मंत्री ने भी लद्दाख में हमारी सीमा पर हुए घटनाक्रम के संबंध में *स्वतः* एक वक्तव्य दिया जिसके बाद सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगे।

11. सभा ने नवम्बर, 2020 में अपना कार्यकाल पूरा होने पर सभा की सेवा से निवृत्त होने वाले उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के 11 सदस्यों को विदाई दी।

12. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन द्वारा उपस्थित किए गए और सदन द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित सदस्यों को 20 सितम्बर, 2020 को सभा में उनके अनियंत्रित आचरण और जानबूझकर सभा की कार्यवाही में

व्यवधान उत्पन्न करने के कारण 21 सितम्बर, 2020 को वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गयाः-

1. श्री देरेक ओब्राईन;
2. श्री संजय सिंह;
3. श्री राजीव सातव;
4. श्री के. के. रागेश;
5. श्री सैयद नासिर हुसैन;
6. श्री रिपुन बोरा;
7. सुश्री दोला सेन; और
8. श्री इलामारम करीम

13. विपक्ष के नेता और 46 अन्य सदस्यों की ओर से उपसभापति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की सूचना को सभापीठ ने उचित प्रारूप और नियमानुसार न होने के कारण अस्वीकार कर दिया।

14. उपलब्ध सीमित कार्यात्मक समय और वर्तमान सत्र के लिए की गई बैठने की विशेष व्यवस्था के मद्देनजर, माननीय सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किए गए अनुरोध, कि उन्हें दिन विशेष की कार्यावलि में 'सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र' शीर्षक के तहत पत्रों और विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के संबंध में मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्यों को उन मंत्रियों की ओर से पटल पर रखने की अनुमति दी जाए, को स्वीकार कर लिया।

15. सत्र के दौरान 2018-19 के वर्ष के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली का प्रतिवेदन; शेयर बाजार घोटाले और तत्संबंधी मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई के संबंध में चौंतीसवाँ प्रगति प्रतिवेदन (जून, 2020); 2018-19 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.), नई दिल्ली के वार्षिक लेखे; 2017-18 के वर्ष के लिए अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.एस.सी.), नई दिल्ली का प्रतिवेदन; 2018-19 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी), नई दिल्ली का तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन; 2018-19 के वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली का प्रतिवेदन; 2017-18 के वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), नई दिल्ली का प्रतिवेदन; 2018-19 के वर्ष के लिए भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली का चालीसवां प्रतिवेदन; 2019-20 के वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), मुंबई का तिरसठवां प्रतिवेदन; एक संवेदनशील अधिसूचना, वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार से लिए गए ऋण संबंधी विवरण तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के 29 प्रतिवेदनों जैसे कुछ महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखे गए।

16. विभिन्न विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में 38 विवरण सभा पटल पर रखे गए।

17. सत्र के दौरान 1567 अतारांकित प्रश्न सभा पटल पर रखे गए।

18. सभापति ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और राज्य सभा के पूर्व सदस्य श्री प्रणव मुखर्जी, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायक पंडित जसराज, राज्य सभा के 4 वर्तमान सदस्यों और 16 पूर्व सदस्यों के

निधन का उल्लेख किया। दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभा 14 सितम्बर, 2020 को एक घंटे के लिए तथा 18 सितम्बर, 2020 को आधे घंटे के लिए स्थगित की गई।

19. सभा ने एफआईडीई चेस ओलंपियाड 2020, जो 24 जुलाई से 30 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन आयोजित हुआ था, में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने तथा रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किये जाने के लिए विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा, अरविंद चिदंबरम, निहाल सरीन, प्रागनन्ध आर., कोरेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका, भक्ति कुलकर्णी, वैशाली आर., वंतिका अग्रवाल और दिव्या देशमुख सहित विदित संतोष गुजराती के नेतृत्व वाले भारतीय शतरंज दल को बधाई दी।

20. सभापीठ ने देश के विभिन्न भागों में आई प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों का उल्लेख किया।

21. सभापीठ ने 15 सितम्बर, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का भी उल्लेख किया।

22. कोविड-19 महामारी के दौरान 252वां सत्र आयोजित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियात्मक परिवर्तन/व्यवस्थाएं की गईं:-

(i) माननीय सभापति ने महामारी के दौरान सामाजिक दूरी मानदंडों को पूरा करने के लिए राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 2(1) के तहत "राज्य सभा की प्रसीमा" का अर्थ व्यापक कर दिया और यह निर्दिष्ट किया था कि राज्य सभा के सदस्यों के लिए राज्य सभा चैम्बर और दीर्घाओं के साथ-साथ लोक सभा चैम्बर में बैठने की विशेष व्यवस्था के मद्देनजर राज्य सभा के 252वें सत्र के दौरान राज्य सभा की प्रसीमा में लोक सभा चैंबर, इसकी लॉबी और दीर्घाएं भी शामिल होंगे।

(ii) सभापीठ ने सत्र के दौरान सभा की बैठक के समय में परिवर्तन के मद्देनजर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विशेष उल्लेख के लिए नोटिस देने के समय के संबंध में समुक्ति की। सभापीठ ने यह भी समुक्ति की कि चूंकि बैठक का समय चार घंटे तक सीमित है, अतः जिन सदस्यों के विशेष उल्लेख के नोटिस स्वीकृत हो गये हैं, उन्हें सभापीठ द्वारा उनका नाम पुकारे जाने पर अनुमोदित पाठ को सभा पटल पर रख देना चाहिए।

(iii) महामारी की अवधि के दौरान स्पर्श-रहित पत्राचार का अनुपालन करने के लिए बैठक की सूचनाएं, संसदीय पत्र और अन्य संप्रेषण एनआईसी द्वारा तैयार किए गए 'मेंबर्स लॉग-इन पोर्टल' के माध्यम से सभी सदस्यों को परिचालित किए गए।

23. सत्र के दौरान कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 को पारित कराने के दौरान उत्पन्न हुई अराजक स्थिति के कारण 3 घंटों से अधिक का समय व्यर्थ हुआ। तथापि, सभा ने बैठक म.प. 1.00 बजे के बाद भी जारी रखकर 4 घंटे से भी अधिक समय की पूर्ति की।

———

252वें सत्र के दौरान किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण- एक नज़र में

बैठकें	
आमंत्रण पत्रों को भेजे जाने की तारीख	01.09.2020
सत्र की अवधि	14.09.2020 से 23.09.2020
बैठक के वास्तविक दिनों की संख्या	10
बैठकों के वास्तविक घंटे *(भोजनावकाश को छोड़कर)*	39 घंटे से अधिक
व्यवधान/स्थगन के कारण बर्बाद हुआ समय	3 घंटे 15 मिनट
बैठक देर तक जारी रखकर/भोजनावकाश रद्द करके की गई समय की पूर्ति	4 घंटे से अधिक
सत्रावसान की तारीख	-------
प्रश्न*	
अतारांकित प्रश्नों की संख्या, जिनके उत्तर दिए गए	1567
आधे घंटे की चर्चा	-
सरकारी विधेयक	
पुरःस्थापित किए गए विधेयकों की संख्या	6
वापस लिए गए विधेयकों की संख्या	1
पारित/लौटाए गए विधेयकों की संख्या	25
प्रवर/संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयकों की संख्या	-
आस्थगित किए गए विधेयकों की संख्या	-
शपथ/प्रतिज्ञान	
शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या	17
मंत्रियों द्वारा विवरण	
मंत्रियों द्वारा *स्वतः* दिए गए वक्तव्यों/रखे गए विवरणों की संख्या	2
विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सभा पटल रखे गए विवरणों की संख्या	38
लोक महत्व के उठाए गए मामले	
ध्यानाकर्षण सूचनाओं की संख्या	-
अल्पकालिक चर्चाओं की संख्या	-
विशेष उल्लेखों की संख्या	66
अनुमति से उठाए गए मामलों की संख्या	92
सदस्यों द्वारा निवेदन	-
सभापटल पर रखे गए पत्र	1787

* 252वें सत्र के दौरान तारांकित प्रश्नों और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों से संबंधित कार्य नहीं किया गया।